

**न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 187/2019

दायर दिनांक 31.07.2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखाराम पुत्र बोदुराम जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।		1. रूकमा देवी पत्नि पूरणराम 2. मंगनाराम पुत्र पूरणराम 3. राजेन्द्र सिंह पुत्र पूरणराम 4. विजेन्द्र कुमार पुत्र पूरणराम समस्त जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 04.10.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 1277/1106 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 1121 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 1292/1124 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा वाकै सरहद गोमथलिया की ढाणी में अवस्थित है।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है। जिसमें वादी के बन्ट व कब्जे काशत के उपर वर्णित खसरा नम्बरान् आया है जिसमें प्रतिवादी सं0 01 ता 04 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के बंट में ग्राम करकेड़ी में अवस्थित खसरा नम्बर 493/36 रकबा 06.29 हैक्टे0 आया हुआ है।

प्रार्थना वादी निम्न है-


यह है कि खेत खसरा नम्बर 1277/1106 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 1121 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 1292/1124 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा वाकै सरहद गोमथलिया की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 05 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील पक्षकारान् मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

दावा के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी सं0 01 ता 04 का नाम वर्तमान खातेदारी से हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नागौर)



—:आदेश :-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद गोमथलिया की ढाणी के खसरा सं० 1277/1106, 1121, 1292/1124 की कृषि भूमि से प्रतिवादी सं० 01 ता 04 का नाम हटाया जाता है व वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
सीडवाना (सदरौर)  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इबादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 187/2019

दायर दिनाँक 31.07.2019

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. सुखाराम पुत्र बोदुराम जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।		1. रूकमा देवी पत्नि पूरणराम 2. मंगनाराम पुत्र पूरणराम 3. राजेन्द्र सिंह पुत्र पूरणराम 4. विजेन्द्र कुमार पुत्र पूरणराम समस्त जाति जाट निवासी गोमथलिया की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 04.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद गोमथलिया की ढाणी के खसरा सं0 1277/1106, 1121, 1292/1124 की कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 01 ता 04 का नाम हटाया जाता है व वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।  
बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)